न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 57/2017

1. उच्छव कंवर पत्नी स्व0 चैनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखौल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
2. रतनकंवर पुत्री स्व0 चैनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखौल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
3. गीताकंवर पुत्री स्व0 चैनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखौल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
4. लक्ष्मणसिंह दत्तक पुत्र स्व0 चैनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखौल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरकंवर पुत्री स्व0 किशनसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
2. बजुकंवर उर्फ सोहनकंवर पुत्री स्व0 किशनसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
3. मोहनकंवर पुत्री पुत्री स्व0 किशनसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः– 1.श्री सुर्यप्रकाश स्वामी अधिवक्ता अपीलांट्
2.श्री विनोद कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:47:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06. के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—03.02.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.17 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 21 रकबा 04.05 बीघा, ख0न0 27 रकबा 9.12बीघा, ख0न0 3 रकबा 18.10 बीघा, ख0न0 87 रकबा 20.06 बीघा, ख0न0 275 रकबा 16 बीघा कुल किता 5 रकबा 53.09 बीघा वाके रोही मौजा अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है । वादगत कृषि भूमि में संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा अपीलांट/वादीगण का बनता है जिसकी घोषणा व राजस्व रेकार्ड सही करवाने हेतु दावा मय राजिनामा पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी खारीज कर दिया गया है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 21 रकबा 04.05 बीघा, ख0न0 27 रकबा 9.12बीघा, ख0न0 3 रकबा 18.10 बीघा, ख0न0 87 रकबा 20.06 बीघा, ख0न0 275 रकबा 16 बीघा कुल किता 5 रकबा 53.09 बीघा वाके रोही मौजा अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है के संबंध में घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती हेतु दावा अधिनस्थ न्यायालय के यहां जनकल्याणार्थ किसानो की समस्याओं के समाधान हेतु चलाये गये अभियान में दिनांक 30.06.17 को दोनो पक्षो की व्यक्तिगत उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया राजीनामा के संबंध में दोनो पक्षकारों से पुछताछ, परिक्षण कर पत्रावली में शामिल किया गया । यह कि अपीलांट/वादीगण के पूर्वज स्व0 दुलेसिंह के दो पुत्र किशनसिंह व बन्ने सिंह हुऐ । किशनसिंह के तीन पुत्रियां भंवर कंवर, बजुकंवर उर्फ सोहन कंवर एवं मोहन कंवर हुई । कोई पुत्र संतान नही होने से किशनसिंह ने अपने जीवन काल में अपने छोटे भाई बन्ने सिंह के तीन पुत्रों में से सबंसे बडे पुत्र चैनसिंह को सामाजीक, धार्मिक, गांववाई रिती रिवाजो को सम्पन्न कर अपनी तिथ में गोद ले लिया व चैन सिंह का लालन पालन, विवाह आदि जाईन्दा पुत्र की तरह किया । चैनसिंह ने जाईन्दा पुत्र की तरह किशन सिंह की सेवा को । किशनसिह के निधन पर चैनसिंह ने जाईन्दा पुत्र की तरह भग होकर सारे सामाजिक व धार्मिक संस्कार व गंगाप्रसादी की । किशन सिह की [illegible] भी चैनसिंह को बाधीं गयी । किशनसिह की तमाम चल अचल सम्पती को [illegible]सिंह ने पुत्र के रूप में प्राप्त की । किशनसिह के निधन के बाद राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश विवादित कृषि भूमि अकेले स्व0 किशनसिंह की विधवा प[illegible] राजकंवर के नाम दर्ज कर दिया तथा राजकंवर के निधन के पश्चात तीनो पुत्रियों रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:47:51 IST
Reason: SelfAttested

ब0हि0ब0 दर्ज कर दिया जबकि स्व0 चैनसिंह एवं तीनो पुत्रियों 1/4 1/4 ब0हि0ब0 हिस्सा समान रूप से दर्ज होना चाहिये था । स्व0 चैनसिंह के मात्र दो पुत्रियां अपीलांर्थी सं0 2 व 3 ही हुई है, कोई पुत्र संतान नही होने से चैनसिंह ने अपने जीवनकाल में ही स्व0 बन्नेसिंह के पुत्र रावणसिंह के बेटे लक्ष्मणसिंह को सामाजिक धार्मिक गावंवाई रीतिरिवाज को सम्पन्न कर अपनी तीथ में गोद ले लिया था तथा पालन पोषण शिक्षा विवाह आदि सारे कार्य चैनसिह ने ही सम्पन्न किये । चैनसिंह के निधन पर अपीलांट सं0 4 जाईन्दा पुत्र के रूप में भद्र हुआ गंगाप्रसादी आदि सारे धार्मिक, सामाजिके कार्य सम्पन्न किये । स्व0 चैनसिह की पगडी भी अपीलांट सं0 4 को बांधी गयी । गांव समाज ने अपीलांट सं0 4 को किशन सिह का पोत्र व चैनसिंह का पुत्र माना व जाना जाता है । इस प्रकार अपीलांट/वादीगण का कुल वादगत कृषि भूमि में संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा करवाई जाने व राजस्व रेकाड में सही करवाने का दावा पेश कर अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया था । दावा मात्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये जाने के उपरांत राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण परिवेश के किसानो के समस्याओं के समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्तवति हेतु न्याय आपक द्वार राजस्व अभियान दिनांक 30.06.17 में वाद के सभी पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये जिन्होने लोक अदालत की भावना से पारिवारिक समस्या का समाधान राजीनामें से करने हेतु राजीनामा पेश किया । अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामें के तथ्यों को पढा व सभी पक्षकारानों से पुछताछ कर सही तस्दीक कर शामिल पत्रावली का आदेश दिया । तस्दीक शुद्वा राजीनामा वादगत कृषि भूमि के संबंध में पक्षकारों में कोई विवाद शेष नही रहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का दावा डिक्री किये जाने में कोई कानूनी बाधा नही थी । फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्रों, मंशा के विपरित तथ्यों का उल्लेख कर दावा वादी खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के खिलाफ है । जो निरस्त किये जाने योग्य है । ।

4. रेस्पो0पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को स्वीकार किया है और राजीनामे के अनुसार शुद्धिकरण एवम नाम हजब करने पर कोई ऐतराज अपने कथन में नही किया है ।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट [illegible] न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती हेतु दावा अधिनस्थ न्यायालय के यहां जनकल्याणार्थ किसानो की समस्याओं के समाधान हेतु चलाये गये अभियान में दिनांक 30.06.17 को दोनो पक्षो की व्यक्तिगत उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया राजीनामा के संबंध में दोनो पक्षकारों से पुछताछ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:47:51 IST
Reason: SelfAttested

परिक्षण कर पत्रावली में शामिल किया गया । किशनसिह के निधन के बाद राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश विवादित कृषि भूमि अकेले स्व0 किशनसिंह की विधवा पत्नी राजकंवर के नाम दर्ज कर दिया तथा राजकंवर के निधन के पश्चात तीनो पुत्रियों रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के नाम ब0हि0ब0 दर्ज कर दिया जबकि स्व0 चैनसिह एवं तीनो पुत्रियों 1/4 1/4 ब0हि0ब0 हिस्सा समान रूप से दर्ज होना चाहिये था । इस संबंध में ग्राम पंचायत के सम्मानित पद सरपंच ग्राम हरासर पंचायत समिति सुजानगढ ने भी अपने प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.17 द्वारा तस्दीके किया है कि चैनसिंह अपने ताउ किशनसिंह के गोद चले गये, चैनसिंह के भी कोई संतान नही होने से रावणसिंह उर्फ बेरीसालसिंह का बडा बेटा लक्ष्मणसिंह को चैनसिंह ने गोद ले लिया । इस प्रकार तमाम तथ्यों को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत वादी/अपीलांट का दावा खारिज किया है वो न्याय आपके द्वार अभियान की मंशा के विपरित खारिज किया गया है जो उचित नही है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सुजानगढ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तस्दीक शुद्वा राजीनामे के अनुसार सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें ।

7. निर्णय आज दिंनाक 03.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:47:51 IST
Reason: SelfAttested